अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SOCIAL JUSTICE COMMISSION

Regd. No 202101362000024, Regd. With NITI AAYOG GOVT. OF INDIA

UNITED NATIONS

Helpline No. 07875 008 008 | Email : ihrsocialjusticecommission@gmail.com

♦ मौलिक अधिकार - FUNDAMENTAL RIGHTS ♦

● जानिए क्या है आपके मौलिक अधिकार ●

मौलिक अधिकारों को सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है । ये अधिकार नस्ल , जन्म स्थान , जाति , पंथ या लिंग के भेद के बिना सभी पर लागू होते है ।

नागरिकों के ' इन्सान किसी का दास नहीं ' यह अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे विश्व के लिए अपनायी। 26 जनवरी 1950 ई को जब भारत का अपना संविधान लागू हुआ, तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की उपरोक्त अवधारणा को सबसे विस्तृत रुप में स्वीकार करते हुए, उसे देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों के रुप में स्वीकार किया गया। 'समता का अधिकार', 'स्वतंत्रता का अधिकार', 'धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार', 'शोषण के विरुद्ध अधिकार', 'संस्कृति और शिक्षा का अधिकार' - ये ऐसे अधिकार हैं , जिन्हें कोई भी , किसी हालत में समाप्त नहीं कर सकता। इन अधिकारों की विस्तृत जानकारी पुस्तक में प्रस्तुत की गयी है।

डॉ.संतोष.एम.बजाज

राष्ट्रीय अध्यक्ष

Helpline No. 09096335556 | Email : drsantoshbajajo07@gmail.com

WEBSITE:- www.drsantoshbajaj.wordpress.com

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SOCIAL JUSTICE COMMISSION

Regd. No 202101362000024, Regd. With NITI AAYOG GOVT. OF INDIA

UNITED NATIONS

Helpline No. 07875 008 008 | Email : ihrsocialjusticecommission@gmail.com

◆ मौलिक अधिकार क्या है ? ◆

- मौलिक अधिकारों का हिस्सा सविधान के भाग तीन में अनुछेद १२ से ३५ में दर्ज किया गया है । यह भारत के संविधान के संस्थापकों ने अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर संविधान में शामिल किया.
संविधान के भाग तीन को भारत का मैग्राकार्टा भी कहा गया है.

- मौलिक अधिकार संविधान द्वारा गारंटी के साथ , हर एक भारतीय नागरिक को बगैर किसी भेद भाव के दिए गए अधिकार हैं.

- यह अधिकार भारत की विधि के द्वारा संरक्षित अधिकार हैं , और चूँकि भारत का संविधान इनकी गारन्टी लेता है इसलिए इनके खनन या खंडित होने पर व्यक्ति विशेष देश के दोनों उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है ।
(अनुछेद २२६ हाई कोर्ट तथा अनुछेद ३२ सुप्रीम कोर्ट के लिए)

- शुरू में भारतीय संविधान ने कुल सात अधिकार भारत के नागरिकों को दिए थे , पर १९७८ (१९७८) के ४४ सविधान संशोधन अधिनयम के चलते , सम्पति का अधिकार अनुछेद ३१) को मौलिक अधिकारों से हटा कर भाग १२ के अनुछेद ३०० एका हिस्सा बना दिया गया था.

डॉ.संतोष.एम.बजाज

राष्ट्रीय अध्यक्ष

Helpline No. 09096335556 | Email : drsantoshbajajo07@gmail.com

WEBSITE:- www.drsantoshbajaj.wordpress.com

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SOCIAL JUSTICE COMMISSION

Regd. No 202101362000024, Regd. With NITI AAYOG GOVT. OF INDIA

UNITED NATIONS

Helpline No. 07875 008 008 | Email : ihrsocialjusticecommission@gmail.com

◆ मौलिक अधिकार ◆

- समानता का अधिकार (अनुछेद १४-१८).
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुछेद १९ -२२).
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुछेद २३-२४).
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुछेद २५-२८).
- सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुछेद २९ -३०).
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुछेद ३२).

अनुछेद ३२ को डॉ भीम राव आंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और दिल भी कहा है । चूंकि अनुछेद ३२ इतना जरूरी है इसलिए संविधान में बदलाव करके इसको छीना नहीं जा सकता है

डॉ.संतोष.एम.बजाज

राष्ट्रीय अध्यक्ष

Helpline No. 09096335556 | Email : drsantoshbajajo07@gmail.com

WEBSITE:- www.drsantoshbajaj.wordpress.com

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SOCIAL JUSTICE COMMISSION

Regd. No 202101362000024, Regd. With NITI AAYOG GOVT. OF INDIA

UNITED NATIONS

Helpline No. 07875 008 008 | Email : ihrsocialjusticecommission@gmail.com

• मौलिक अधिकारों की विशेषताएं •

- कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं जबकि कुछ सभी को चाहे वह भारत के नागरिक ना हों । इनमें कम्पनीज और कारपोरेशन भी समिलित हैं ।

- सरकार इन अधिकारों पर एक हद तक रोक लगा सकती हैं . यह रोक किस हद तक जा सकती है इसका निर्णय कानून करता है , इस प्रकार नागरिक अधिकारों और समाज के बीच सही ताल मेल बनाया जाता है ।

- ज्यादातर अधिकार सरकार के मनमाने व्यव्हार के खिलाफ उपलब्ध हैं पर सरकार कुछ अकेले नागरिको के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है और इसके लिए सर्विधानिक उपाय ना होकर सिर्फ साधारण कानूनी उपाय ही उपलब्ध है ।

- मौलिक अधिकारों के खनन होने पर व्यक्ति विशेष कानून का दरवाजा खटखटा सकता है ।

- इनके खनन पर व्यक्ति विशेष सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दर्ज करा सकता है येह जरूरी नहीं है की उसको हाई कोर्ट के रस्ते ही जाना पडे ।

डॉ.संतोष.एम.बजाज

राष्ट्रीय अध्यक्ष

Helpline No. 09096335556 | Email : drsantoshbajajo07@gmail.com

WEBSITE:- www.drsantoshbajaj.wordpress.com

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SOCIAL JUSTICE COMMISSION

Regd. No 202101362000024, Regd. With NITI AAYOG GOVT. OF INDIA

UNITED NATIONS

Helpline No. 07875 008 008 | Email : ihrsocialjusticecommission@gmail.com

• मौलिक अधिकारों की विशेषताएं •

- मौलिक अधिकार स्थायी नहीं होते है तथा सरकार इनको संविधानिक संशोधन करके वापिस ले सकती है बशर्ते इसके द्वारा संविधान का मूल स्वरुप ना बदल सके ।

- इनको सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल की स्तिथि में ही बर्खास्त किया जा सकता है फिर भी अनुछेद २० और २१ के अन्तर्गत मालिक अधिकार लगो रहते हैं । अनुछेद १९ के नीचे दिए गए ६ अधिकार युद्ध अथवा बाहरी आक्रामका की स्तिथि में बर्खास्त किये जाते ।

- भारतीय फौज पारा मिलिट्री पुलिस तथा खुफिया विभाग एवं इस प्रकार की सेवायों में कार्यरत लोगों के मौलिक अधिकार संसद द्वारा वर्जित है (अनुछेद ३३)

- मौलिक अधिकारों को मार्शल लॉ के समय भी वर्जित करार दिया जाता है मार्शल लॉया मिलिट्री रूत (अनुछेद ३४) राष्ट्रीय आपातकाल से अलग होती है ।

- मौलिक अधिकार आत्म प्रवर्तनीय होते हैं यदि कहीं पर इनके लागू करने के लिए किसी विधि का गठन होना है तो वह सिर्फ संसद ही पारित कर सकता है, और ना की राज्य सरकार (अनुछेद ३५) .

डॉ.संतोष.एम.बजाज

राष्ट्रीय अध्यक्ष

Helpline No. 09096335556 | Email : drsantoshbajajo07@gmail.com

WEBSITE:- www.drsantoshbajaj.wordpress.com

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SOCIAL JUSTICE COMMISSION
Regd. No 202101362000024, Regd. With NITI AAYOG GOVT. OF INDIA
UNITED NATIONS
Helpline No. 07875 008 008 | Email : ihrsocialjusticecommission@gmail.com

• मौलिक अधिकारों के असंगत विधियां (अनुछेद १३) •

अनुछेद १३ के अनुसार जो भी विधियां मौलिक अधिकारों के असंगत अथवा उनका खनन करती हैं उनको निषेध घोषित किया जा सकता है।

इन विधियों को निषेद्य करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट (अनुछेद ३) तथा हाई कोर्ट (अनुछेद २२६) दी गयी हैं।

विधि की परिभाषा अनुछेद १३ के मुताबिक,

a) संसद या राज्य विधायको के द्वारा पारित स्थायी विधि।
b) अस्थायी विधियां, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधयादेश।
c) वैधानिक उपनियम, व्यवस्था, नियम इत्यादि।
d) गैर वैधानिक विधि रिवाजों इत्यादि पर आधारित जबरदस्ती बनाये गए कानून ।

अनुछेद १३ इनके सिवाय यह भी घोषित करता है , की सविधान संशोधन चूँकि विधि नहीं है , इसलिए इसपर कानूनी तौर पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है पर सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती case (१९७३) में यदि संविधानिक संशोधन करने से मौलिक अधिकारों का जो संविधान के बुनयादी ढांचे के हिस्सा हैं तो ऐसे संशोधन निषेधमाने जाएंगे ।

डॉ.संतोष.एम.बजाज
राष्ट्रीय अध्यक्ष
Helpline No. 09096335556 | Email : drsantoshbajajo07@gmail.com
WEBSITE:- www.drsantoshbajaj.wordpress.com

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SOCIAL JUSTICE COMMISSION
Regd. No 202101362000024, Regd. With NITI AAYOG GOVT. OF INDIA
UNITED NATIONS
Helpline No. 07875 008 008 | Email : ihrsocialjusticecommission@gmail.com

• मौलिक अधिकारों के असंगत विधियां (अनुछेद १३) •

अनुछेद १३ के अनुसार जो भी विधियां मौलिक अधिकारों के असंगत अथवा उनका खनन करती हैं उनको निषेध घोषित किया जा सकता है।

इन विधियों को निषेद्य करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट (अनुछेद ३) तथा हाई कोर्ट (अनुछेद २२६) दी गयी हैं।

विधि की परिभाषा अनुछेद १३ के मुताबिक,

a) संसद या राज्य विधायको के द्वारा पारित स्थायी विधि।
b) अस्थायी विधियां, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधयादेश।
c) वैधानिक उपनियम, व्यवस्था, नियम इत्यादि।
d) गैर वैधानिक विधि रिवाजों इत्यादि पर आधारित जबरदस्ती बनाये गए कानून ।

अनुछेद १३ इनके सिवाय यह भी घोषित करता है , की सविधान संशोधन चूँकि विधि नहीं है , इसलिए इसपर कानूनी तौर पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है पर सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती case (१९७३) में यदि संविधानिक संशोधन करने से मौलिक अधिकारों का जो संविधान के बुनयादी ढांचे के हिस्सा हैं तो ऐसे संशोधन निषेधमाने जाएंगे ।

डॉ.संतोष.एम.बजाज
राष्ट्रीय अध्यक्ष
Helpline No. 09096335556 | Email : drsantoshbajajo07@gmail.com
WEBSITE:- www.drsantoshbajaj.wordpress.com

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SOCIAL JUSTICE COMMISSION
Regd. No 202101362000024, Regd. With NITI AAYOG GOVT. OF INDIA
UNITED NATIONS
Helpline No. 07875 008 008 | Email : ihrsocialjusticecommission@gmail.com

• मौलिक अधिकारों के असंगत विधियां (अनुछेद १३) •

अनुछेद १३ के अनुसार जो भी विधियां मौलिक अधिकारों के असंगत अथवा उनका खनन करती हैं उनको निषेध घोषित किया जा सकता है।

इन विधियों को निषेद्य करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट (अनुछेद ३) तथा हाई कोर्ट (अनुछेद २२६) दी गयी हैं।

विधि की परिभाषा अनुछेद १३ के मुताबिक,

a) संसद या राज्य विधायको के द्वारा पारित स्थायी विधि।
b) अस्थायी विधियां, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधयादेश।
c) वैधानिक उपनियम, व्यवस्था, नियम इत्यादि।
d) गैर वैधानिक विधि रिवाजों इत्यादि पर आधारित जबरदस्ती बनाये गए कानून ।

अनुछेद १३ इनके सिवाय यह भी घोषित करता है , की सविधान संशोधन चूँकि विधि नहीं है , इसलिए इसपर कानूनी तौर पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है पर सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती case (१ ९ ७३) में यदि संविधानिक संशोधन करने से मौलिक अधिकारों का जो संविधान के बुनयादी ढांचे के हिस्सा हैं तो ऐसे संशोधन निषेधमाने जाएंगे ।

डॉ.संतोष.एम.बजाज
राष्ट्रीय अध्यक्ष
Helpline No. 09096335556 | Email : drsantoshbajajo07@gmail.com
WEBSITE:- www.drsantoshbajaj.wordpress.com

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SOCIAL JUSTICE COMMISSION

Regd. No 202101362000024, Regd. With NITI AAYOG GOVT. OF INDIA

UNITED NATIONS

Helpline No. 07875 008 008 | Email : ihrsocialjusticecommission@gmail.com

• समानता का अधिकार (अनुछेद १४ -१८) •

यदि कोई व्यक्ति सदन में होने वाली कार्यवाही की सच्ची घटना का वर्णन अखबार , टीवी अथवा रेडियो के माध्यम से देता है तो उसके विरुद्ध कोई भी नागरिक अथवा आपराधिक कार्यवाही किसी भी अदालत में दर्ज नहीं की जा सकती (अनुछेद ३६१ - आ) ।

संसद में होने वाली कार्यवाही के लिए किसी भी संसद को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और न ही कोई मुकदमा दर्ज किया जा सकता है । (अनुछेद १०५)

राज्य सरकारों के लिए ऊपर दी गयी धरा अनुछेद १९४ के अधीन आती है ।

अनुछेद ३१ -आ) अत्यधिक महत्पूर्ण है तथा इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जहाँ ३१ - आ आता है वहाँ १४ बहार जाता है । ३१ - दरअसल राज्य सरकारों को निर्देशक सिधान्तो अनुछेद ३१ की धराबी तथा सी) को लागू करने हेत बनायीं गयी विधियां हैं तथा इनहे अदालत में नहीं घसीटा जासकता ।

डॉ.संतोष.एम.बजाज

राष्ट्रीय अध्यक्ष

Helpline No. 09096335556 | Email : drsantoshbajajo07@gmail.com

WEBSITE:- www.drsantoshbajaj.wordpress.com

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SOCIAL JUSTICE COMMISSION
Regd. No 202101362000024, Regd. With NITI AAYOG GOVT. OF INDIA
UNITED NATIONS
Helpline No. 07875 008 008 | Email : ihrsocialjusticecommission@gmail.com

• सार्वजनिक रोजगार के अवसर में समानता (अनुछेद १६) •

अनुछेद १६ - कहता है किसी भी नागरिक को सरकार द्वारा जाती धर्म, जन्म, स्थान, इत्यादि के कारन रोजगार देने से मना नहीं किया जा सकता है ।

:- यद्यपि इसमें तीन अपवाद हैं -:

१. संसद जनम स्थान अथवा रहने के स्थान को एक आवश्यक नियम बना सकता है राज्य में रोजगार हेतु ।

२. राज्य सरकार पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण की नीति अपना सकती है ।

३. धर्म संबंधी पदों पर उसी धर्म के व्यक्ति का चयन किया जा सकता

डॉ.संतोष.एम.बजाज
राष्ट्रीय अध्यक्ष
Helpline No. 09096335556 | Email : drsantoshbajajo07@gmail.com
WEBSITE:- www.drsantoshbajaj.wordpress.com

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SOCIAL JUSTICE COMMISSION
Regd. No 202101362000024, Regd. With NITI AAYOG GOVT. OF INDIA
UNITED NATIONS
Helpline No. 07875 008 008 | Email : ihrsocialjusticecommission@gmail.com

• अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनुछेद १७) •

अनुछेद १७ अस्पृश्यता का उन्मूलन हेतु बनाया गया अनुछेद है तथा यह इस प्रथा का उन्मूलन एवं किसी भी प्रकार से इस्तेमाल करने पर रोक लगता है।
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५ को १९७६ में काफी फेरबदल के साथ लाया गया था।
इसके अन्तर्गत ६ महीने की जेल तथा ५०० रूपए का जुरमाना भी लाया गया।
इस अधिनियम के अनुसार निम्म बिंदु अपराध की श्रेणी में रखे गए हैं -

१) किसी व्यक्ति का मंदिर या अन्य पूजा के स्थलों में प्रवेश रोकना ।
2) अस्पृश्यता को परंपरा , धर्म या अन्य कारणों से सही बताना।
3) किसी दुकान , होटल या दूसरी सार्वजनिक मनोरंजन की जगह पर जाने से रोकना।
४) किसी अनुसूचित जाती के व्यक्ति का अस्पृश्यता को लेकर अपमान।
५) हस्पताल स्कूल कॉलेज , हॉस्टल इत्यादि में दाखिल करने से मनाही।
६) अस्पृश्यता को बढ़ावा देना या उसको सही बताना और पढ़ाना।
७) किसी व्यक्ति को अस्पर्श्यता की वजह से सामान या सेवाएं नहीं देना

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह अनुछेद प्राइवेट नागरिको के प्रति भी इस्तेमाल किया जा सकता है , और यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है की इस अनुछेद का उलंघन न हो

डॉ.संतोष.एम.बजाज
राष्ट्रीय अध्यक्ष
Helpline No. 09096335556 | Email : drsantoshbajajo07@gmail.com
WEBSITE:- www.drsantoshbajaj.wordpress.com

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SOCIAL JUSTICE COMMISSION
Regd. No 202101362000024, Regd. With NITI AAYOG GOVT. OF INDIA
UNITED NATIONS
Helpline No. 07875 008 008 | Email : ihrsocialjusticecommission@gmail.com

• खिताब के उन्मूलन (अनुछेद १८) •

अनुछेद १८ खिताबों के उन्मूलन हेतु दिया गया अनुछेद है तथा

१) इसके अनुसार राज्य सिवाय फौजी अधवा पढाई संभन्दित जैसे डॉक्टर (पीएचडी) किसी भी नागरिक अथवा विदेशी को कोई और ख़िताब नहीं दे सकती है।

२) इसके अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी ख़िताब को स्वीकार नहीं सकता।

३) कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत वर्ष में कार्यरत है सरकार के नीचे , वो बेगैर राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना ऐसा कोई खिताब नहीं ले सकता।

४) ब्रिटश सरकार के समय के खिताब सब ख़ारिज कर दिए गए सब लोगों को एक सामान स्तर पर रखने के लिए।

राष्ट्रीय अवार्ड जैसे पद्म श्री , इत्यादि का नाम के अग्रणी लगना गलत है , ऐसा करने पर अवार्ड वापिस भी करना पद सकता है।

राष्ट्रीय अवार्ड १९५४ में जनता पार्टी ने मुरार जी देसाई के द्वारा लाये गए थे।

डॉ.संतोष.एम.बजाज
राष्ट्रीय अध्यक्ष
Helpline No. 09096335556 | Email : drsantoshbajajo07@gmail.com
WEBSITE:- www.drsantoshbajaj.wordpress.com

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SOCIAL JUSTICE COMMISSION

Regd. No 202101362000024, Regd. With NITI AAYOG GOVT. OF INDIA

UNITED NATIONS

Helpline No. 07875 008 008 | Email : ihrsocialjusticecommission@gmail.com

• आज़ादी के अधिकार (अनुछेद १९ - २२) •

◆ अनुछेद १९ ◆

:- अनुछेद-१९ सभी नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार देता है -:

१) भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार।

२) बगैर हथियारों के शांतिपूर्ण सभा का अधिकार।

३) संघ , यूनियन या कोआपरेटिव या सहकारी समिति बनाने का अधिकार।

४) भारत देश के किसी भी स्थान में जाने का अधिकार।

५) भारत में किसी भी स्थान पर रहने का अधिकार।

६) किसी भी को करने का अधिकार बशर्ते वह आपराधिक प्रवति का न हो।

यह ६ अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों और किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स को ही हासिल हैं।

डॉ.संतोष.एम.बजाज

राष्ट्रीय अध्यक्ष

Helpline No. 09096335556 | Email : drsantoshbajajo07@gmail.com

WEBSITE:- www.drsantoshbajaj.wordpress.com

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SOCIAL JUSTICE COMMISSION
Regd. No 202101362000024, Regd. With NITI AAYOG GOVT. OF INDIA
UNITED NATIONS
Helpline No. 07875 008 008 | Email : ihrsocialjusticecommission@gmail.com

• आज़ादी के अधिकार (अनुछेद १९-२२) •

◆ अनुछेद २० ◆

अनुछेद २० - अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

अनुछेद २० यह सुनिश्चित करता है की किसी भी अपराध के लिए दोषी को अत्यधिक सजा न दी जाये फिर वह चाहे आम नागरिक हो या विदेशी हो , इसके अन्तर्गत -

दोषी को किसी ऐसे अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती जिसके लिए कोई कानून ना हो।

दोषी के अपराध करने के समय जितनी सजा कानून द्वारा निर्धारित की गई हो उससे ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती मतलब यदि सजा मिलने के बाद कानून मैं फेर बदल करा जाये तो अपराध के समय का कानून ही मान्य होगा, इसका उदहारण निर्भया कांड है।

किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती।

किसी भी दोषी को खुद उसके खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता है।

डॉ.संतोष.एम.बजाज
राष्ट्रीय अध्यक्ष
Helpline No. 09096335556 | Email : drsantoshbajajo07@gmail.com
WEBSITE:- www.drsantoshbajaj.wordpress.com

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SOCIAL JUSTICE COMMISSION

Regd. No 202101362000024, Regd. With NITI AAYOG GOVT. OF INDIA

UNITED NATIONS

Helpline No. 07875 008 008 | Email : ihrsocialjusticecommission@gmail.com

• आज़ादी के अधिकार अनुछेद १९-२२) •

◆ अनुछेद २१ ◆

अनुच्छेद - 21 भारत में किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जायेगा अन्यथा नहीं । इस अधिकार को मौलिक अधिकारों में भी सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है । कहा गया है कि यह कार्यपालिका और विधायिका- दोनों के मनमानेपन से संरक्षण प्रदान करता है । "

अनुछेद - २१, अनुछेद 21 (क) 86 वां संविधान संशोधन 2002 , 6-14 वर्ष के बालकों को निशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार।

१) शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 1 अप्रैल 2010 से सम्पुर्ण भारत में लागु।

डॉ.संतोष.एम.बजाज

राष्ट्रीय अध्यक्ष

Helpline No. 09096335556 | Email : drsantoshbajajo07@gmail.com

WEBSITE:- www.drsantoshbajaj.wordpress.com

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SOCIAL JUSTICE COMMISSION
Regd. No 202101362000024, Regd. With NITI AAYOG GOVT. OF INDIA
UNITED NATIONS
Helpline No. 07875 008 008 | Email : ihrsocialjusticecommission@gmail.com

• आज़ादी के अधिकार (अनुछेद १९ - २२) •

◆ अनुछेद २२ ◆

अनुछेद - २२ कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार , इसमें निवारक , निरोधक विधि भी शामिल है ।

अनुछेद - २२(१) गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उसके कारण बताने होंगे।

अनुछेद - २२(२) उसे वकील से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार।

अनुछेद - २२(३) २४ घंटे में सबंधित न्यायलय में पेश करना होगा- यात्रा व अवकाश का समय शामिल नहीं ।

निवारक निरोध विधि के अन्तर्गत- शत्रु देश के नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है या ऐसी आशंका ग्रस्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है, इन्हें उपर के सामान्य (२२)(१),(२),(३) अधिकार प्राप्त नहीं है ।

डॉ.संतोष.एम.बजाज
राष्ट्रीय अध्यक्ष
Helpline No. 09096335556 | Email : drsantoshbajajo07@gmail.com
WEBSITE:- www.drsantoshbajaj.wordpress.com

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SOCIAL JUSTICE COMMISSION
Regd. No 202101362000024, Regd. With NITI AAYOG GOVT. OF INDIA
UNITED NATIONS
Helpline No. 07875 008 008 | Email : ihrsocialjusticecommission@gmail.com

• शोषण के विरूद्ध अधिकार - (अनुछेद २३ से २४) •

अनुच्छेद -23 इसमें मानव का अवैध व्यापार , दास प्रथा , तथा बेगार प्रथा को पूर्णतय प्रतिबन्धित किया गया है। अपवाद - राज्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य श्रम लागू कर सकता है।

अनुछेद - २४ - 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को उद्योग धन्धों में काम पर नहीं लगाया जाता है। अर्थात् बाल श्रम प्रतिबन्धित किया गया है।

वर्तमान में ऐसी आयु के बालको को घरेलु कार्यो में भी नहीं लगाया जा सकता है ।

डॉ.संतोष.एम.बजाज
राष्ट्रीय अध्यक्ष
Helpline No. 09096335556 | Email : drsantoshbajajo07@gmail.com
WEBSITE:- www.drsantoshbajaj.wordpress.com

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SOCIAL JUSTICE COMMISSION
Regd. No 202101362000024, Regd. With NITI AAYOG GOVT. OF INDIA
UNITED NATIONS
Helpline No. 07875 008 008 | Email : ihrsocialjusticecommission@gmail.com

• धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद २५ से २८) •

अनुच्छेद - २५ अन्तकरण के आधार पर धर्म को मानने की स्वतन्त्रता।

अनुच्छेद - २६ माने गये धर्म के प्रबंधन करने की स्वतन्त्रता, (प्रबंधन चल और अचल सम्पति का).

अनुच्छेद - २७ राज्य किसी धर्म की अभिवृदि पर धार्मिक आधार पर कोई कर नहीं लगायेगा।

अनुच्छेद - २८ सरकारी वित्त पोषित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दि जा सकती है। लेकिन किसी विन्यास ट्रस्ट द्वारा स्थापित विद्यालय में कुछ प्रावधानों के अन्तर्गत धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन इसमें सभी को बाध्य नहीं किया जा सकता है।

डॉ.संतोष.एम.बजाज
राष्ट्रीय अध्यक्ष
Helpline No. 09096335556 | Email : drsantoshbajajo07@gmail.com
WEBSITE:- www.drsantoshbajaj.wordpress.com

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SOCIAL JUSTICE COMMISSION
Regd. No 202101362000024, Regd. With NITI AAYOG GOVT. OF INDIA
UNITED NATIONS
Helpline No. 07875 008 008 | Email : ihrsocialjusticecommission@gmail.com

• शिक्षा और संस्कृति का अधिकार (अनुच्छेद - २९ से अनुच्छेद - ३०) •

यह अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को प्राप्त है।

अनुच्छेद -२९ राज्य के अन्तर्गत रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा , लिपी और संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित करने का अधिकार है।

अनुच्छेद - ३० भाषा , लिपी और संस्कृति की सुरक्षा हेतु सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का अधिकार है ऐसी संस्थाओं में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।

United Nations

डॉ.संतोष.एम.बजाज
राष्ट्रीय अध्यक्ष
Helpline No. 09096335556 | Email : drsantoshbajajo07@gmail.com
WEBSITE:- www.drsantoshbajaj.wordpress.com

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SOCIAL JUSTICE COMMISSION
Regd. No 202101362000024, Regd. With NITI AAYOG GOVT. OF INDIA
UNITED NATIONS
Helpline No. 07875 008 008 | Email : ihrsocialjusticecommission@gmail.com

• संवैधनिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद - 32) •

डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है ।

मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार कि रिटे जारी करता है ताकि मौलिक अधिकारों को उचित संरक्षण प्रदान किया जा सके ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण - हैक्स कारपस
परमादेश - मेण्डमस
प्रतिषेध- प्रोहिविजन
उत्प्रेषण - सैरिसिरियो
अधिकार पृच्छा - क्यू वारेन्टो

इन रिटो को न्याय का झरना कहा जाता है।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण - यह नागरिक अधिकारों की सर्वोत्तम रिट है । बंदी बनाये गये व्यक्ति को 24 घण्टे में न्यायालय बंदी बनाये गये कारणों की समीक्षा करता है ।

परमादेश - किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा गलत आदेश दिया जाता है तो इसके कारणों की समीक्षा न्यायलय करता है ।

प्रतिषेध - मना करना, सर्वोच्च न्यायलय अपने अधिनस्थ न्यायलय को सीमा से बाहर जाकर कार्य करने को मना करता है।

उत्प्रेषण - और अधिक सुचित करना - सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिनस्थ न्यायलय से और अधिक सुचना मांगता है ।

अधिकार पृच्छा - किसी अधिकार से किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा जब कोई पद वैद्य या अवैध तरीके से प्राप्त किया जाता है तो उसके कारणों की पृच्छा करता है।

रिट ३ और रिट ४ न्यायलय से न्यायलय में परिवर्तीत कि जाती है ।

डॉ.संतोष.एम.बजाज
राष्ट्रीय अध्यक्ष
Helpline No. 09096335556 | Email : drsantoshbajajo07@gmail.com
WEBSITE:- www.drsantoshbajaj.wordpress.com

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SOCIAL JUSTICE COMMISSION
Regd. No 202101362000024, Regd. With NITI AAYOG GOVT. OF INDIA
UNITED NATIONS
Helpline No. 07875 008 008 | Email : ihrsocialjusticecommission@gmail.com

• अनुच्छेद - 33 - 35 •

अनुछेद - ३३ भारतीय फ़ौज , पैरामिलिट्री , पुलिस तथा खुफिया विभाग एवं इस प्रकार की सेवाओ में कार्यरत लोगों के मौलिक अधिकार संसद द्वारा वर्जित है।

अनुच्छेद - ३४ मौलिक अधिकारों को मार्शल लॉ के समय भी वर्जित करार दिया जाता है मार्शल लॉ या मिलिट्री रूल (अनुछेद - ३४) राष्ट्रीय आपातकाल से अलग होती है।

अनुच्छेद - ३५ मौलिक अधिकार आत्म प्रवर्तनीय होते हैं यदि कहीं पर इनके लागू करने के लिए किसी विधि का गठन होना है तो वह सिर्फ संसद ही पारित कर सकता है , और ना की राज्य सरकार ।

डॉ.संतोष.एम.बजाज
राष्ट्रीय अध्यक्ष
Helpline No. 09096335556 | Email : drsantoshbajajo07@gmail.com
WEBSITE:- www.drsantoshbajaj.wordpress.com

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SOCIAL JUSTICE COMMISSION

UNITED NATIONS

Regd. No 202101362000024, Regd. With NITI AAYOG GOVT. OF INDIA

Helpline No. 07875 008 008 | Email : ihrsocialjusticecommission@gmail.com

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग मानव के अधिकारो कि रक्षा के लिये कार्य करने में अग्रसर है, जिसमे महिला उत्पीडन, पुरुष उत्पीड़न, दहेज उत्पीडन, दहेज हत्या, बलात्कार, अत्याचार, बाल शोषण, श्रमिक शोषण, मानव तस्करी, भुखमरी, धोखाधडी, झुठे आरोप, झूठे केस मे फसाना, गैरकानुनी कार्य, भष्ट्राचार, भय, आतंकवाद, मानवाधिकार व मौलीक अधिकारों का हनन एवं सभी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध कार्य करने में सदैव अग्रसर है, तथा बाल हक, बाल संरक्षण, महिलाओ के हक, महिलाओं को संरक्षण, पुरुषों के हक, पुरुषों के अधिकार, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, पुलिस द्वारा यातनाओ के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, दलितों के अधिकार, कामगारों के अधिकार, समानता का अधिकार, सन्मान से जीने का अधिकार भी शामिल है ।

यदि आप में है साहस इन सभी मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाने का यदि है आप में ' दम ' , तो आगे बढाइये अपने कदम ' , आपको मौका व सरंक्षण देंगे ' हम ' . अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के साथ जुड़कर अंतरराष्ट्रीय , राष्ट्रीय , राज्य , जिल्हा , शहर , तालुका स्तर पर पदादिकारी , अधिकारी , सक्रिय सदस्य व सदस्य बनकर कार्य करने के लिए सम्पर्क करें.

• सम्पर्क सूत्र •

Helpline No. : 09096335556 | Email : drsantoshbajajo07@gmail.com |

Website : www.drsantoshbajaj.wordpress.com

◆ ALSO SEARCH ON GOOGLE LIKE A FAMOUS CELEBRITY & POLITICIANS ◆

• Dr.Santosh Bajaj • Dr Santosh Bajaj Wikipedia • Dr Santosh Bajaj Biography
• Dr Santosh Bajaj Contact Details • Santosh Bajaj Boss • Boss Santosh Bajaj
• Dr Santosh Bajaj Philanthropist • Santosh Bajaj • Santosh Bajaj Doctor
• Santosh Bajaj Wikipedia. • Dr Santosh Bajaj Philanthropist Wikipedia

डॉ.संतोष.एम.बजाज

राष्ट्रीय अध्यक्ष

Helpline No. 09096335556 | Email : drsantoshbajajo07@gmail.com

WEBSITE:- www.drsantoshbajaj.wordpress.com

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SOCIAL JUSTICE COMMISSION

UNITED NATIONS

Regd. No 202101362000024, Regd. With NITI AAYOG GOVT. OF INDIA

Helpline No. 07875 008 008 | Email : ihrsocialjusticecommission@gmail.com

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग मानव के अधिकारो कि रक्षा के लिये कार्य करने में अग्रसर है, जिसमे महिला उत्पीडन, पुरुष उत्पीड़न, दहेज उत्पीडन, दहेज हत्या, बलात्कार, अत्याचार, बाल शोषण, श्रमिक शोषण, मानव तस्करी, भुखमरी, धोखाधडी, झुठे आरोप, झूठे केस मे फसाना, गैरकानुनी कार्य, भष्ट्राचार, भय, आतंकवाद, मानवाधिकार व मौलीक अधिकारों का हनन एवं सभी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध कार्य करने में सदैव अग्रसर है, तथा बाल हक, बाल संरक्षण, महिलाओ के हक, महिलाओं को संरक्षण, पुरुषों के हक, पुरुषों के अधिकार, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, पुलिस द्वारा यातनाओ के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, दलितों के अधिकार, कामगारों के अधिकार, समानता का अधिकार, सन्मान से जीने का अधिकार भी शामिल है ।

यदि आप में है साहस इन सभी मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाने का
यदि है आप में 'दम', तो बढाइये आगे अपने 'कदम', आपको मौका व सरंक्षण देंगे 'हम'.
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग में जुड़कर अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा, शहर, तालुका स्तर पर पदादिकारी, अधिकारी, सक्रिय सदस्य बनकर कार्य करने के लिए सम्पर्क करें.

• सम्पर्क सूत्र •

Helpline No. : 09096335556 | Email : drsantoshbajajo07@gmail.com |

Website : www.drsantoshbajaj.wordpress.com

◆ ALSO SEARCH ON GOOGLE LIKE A FAMOUS CELEBRITY & POLITICIANS ◆

• Dr.Santosh Bajaj • Dr Santosh Bajaj Wikipedia • Dr Santosh Bajaj Biography
• Dr Santosh Bajaj Contact Details • Santosh Bajaj Boss • Boss Santosh Bajaj
• Dr Santosh Bajaj Philanthropist • Santosh Bajaj • Santosh Bajaj Doctor
• Santosh Bajaj Wikipedia. • Dr Santosh Bajaj Philanthropist Wikipedia

डॉ.संतोष.एम.बजाज

राष्ट्रीय अध्यक्ष

Helpline No. 09096335556 | Email : drsantoshbajajo07@gmail.com

WEBSITE:- www.drsantoshbajaj.wordpress.com

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SOCIAL JUSTICE COMMISSION

UNITED NATIONS

Regd. No 202101362000024, Regd. With NITI AAYOG GOVT. OF INDIA

Helpline No. 07875 008 008 | Email : ihrsocialjusticecommission@gmail.com

• आपके अनमोल समर्थन के लिए धन्यवाद •

मौलिक अधिकार - हर इंसान को अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी एवं इसका पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है इसलिए जनहित व आपकी जानकारी के लिए "मौलिक अधिकार" की हाथ - पुस्तिका का निर्माण किया है ।

हम आशा करते है कि आप इस हाथ पुस्तिका से जानकारी एवं ज्ञान अर्जित करेंगे और इसे अपने रिश्तेदार, मित्रमंडली के साथ भी जरूर साझा करेंगे.

।। धन्यवाद ।।

◆ SHARES ◆ LIKES ◆ COMMENTS ◆

डॉ.संतोष.एम.बजाज

राष्ट्रीय अध्यक्ष

Helpline No. 09096335556 | Email : drsantoshbajajo07@gmail.com

WEBSITE:- www.drsantoshbajaj.wordpress.com